193

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक ..../2017

पुनर्विलोकन/रीवा/भू-रा/2017/2079

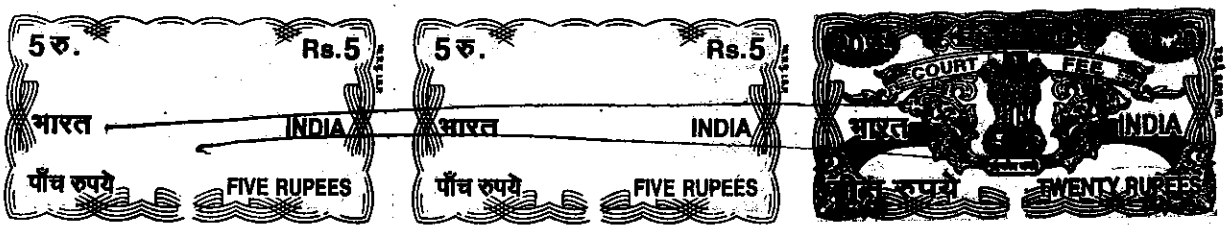

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1. रामनाथ यादव
2. शंकर प्रसाद यादव
3. हीरालाल यादव
4. रामसिया यादव सभी पुत्रगण श्री शिवनाथ यादव निवासी ग्राम कोनी तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 ....**आवेदकगण**

बनाम

मनविश्रामन अहीर पिता मनमोहन अहिर निवासी ग्राम कोनी तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0 ....**अनावेदक**

श्री मनोज कुमार द्विवेदी आज दि. 17-7-17 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक आर/3652–दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 07.06.17 के संबंध में।

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता।

मान्यवर,

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित हैः–

1. यह कि विषयांकित निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 6/पुनर्विलोकन/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। जिसमें यह निवेदन किया गया था कि आवेदकगण भू–आराजी कमांक 296/2, 297/2, 298/2, 300/2, 520/2 स्थित ग्राम कोनी पटवारी हल्का कोनी 22 राजस्व निरीक्षण मण्डल जवा तहसील त्योंथर (अब तहसील जवा) की भू–आराजी आवेदकगण के पिता श्री शिवनाथ यादव को पारिवारिक हिस्सा बटनवारा में प्राप्त हुई थी तथा भू–आराजी कमांक 520 मि. रकवा 15.00 एकड़ आवेदकगण के पिता शिवनाथ यादव की स्वअर्जित आराजी थी जिसका

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/पुर्नावलोकन/रीवा/भूरा/2017/2079

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-9.17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3652–दो/12 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण कमांक तीन/पुर्नावलोकन/रीवा/भूरा/2017/2079 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 3652–दो/12 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 07.06.2017 से किया जा चुका है।	

प्र0 कमांक तीन/पुर्नावलोकन/रीवा/भूरा/2017/2079 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य